

## दीपावली के पूर्व सफाई, सड़क व प्रकाश व्यवस्था दुरस्त करें कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने निगम अधिकारियों को बैठक में दिये निर्देश

रत्नलाम 24 अक्टूबर। दीपावली के पूर्व शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने, सड़कों का पेंचवर्क पूर्ण करने तथा पुरे शहर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगम अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान दिये।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों की ली समीक्षा बैठक में निर्देशित किया कि दीपावली के दौरान सभी घरों में साफ—सफाई का कार्य होता है जिससे कचरा भी अधिक मात्रा में निकलता है इसलिये घर—घर से कचरा संग्रहण का कार्य मुस्तैदी से किया जाये। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि शहर में किसी भी प्रकार का कचरा ना दिखाई दे इसलिये सफाई का कार्य में ओर अधिक गति लाई जाये।

सड़कों के पेंचवर्क कार्य की जानकारी लेते हुए कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया कि नगर की 40 सड़कों के पेंचवर्क के कार्य में ओर अधिक गति लाई जाये ताकि दीपावली के पूर्व पेंचवर्क का कार्य पूर्ण हो ओर नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की समस्या ना हो।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने स्ट्रीट लाईटों के सुधार कार्य की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया दीपावली पर्व पर सभी लाईटे चालू रहे इसलिये पुरे शहर में भ्रमण कर बद स्ट्रीट लाईटों को चालू करवाया जाये।

पिछली बैठक में दिये निर्देशों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर की संपत्तियों की प्राप्ती आई.डी. का कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

इसके अलावा उन्होंने गोपाल गौशाला, नित्यानन्द मार्केट, फुड जोन, सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स आदि के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी ली साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित फ्लेटों का विक्रय अधिक से अधिक हो इस हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी ली।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने संपत्तिकर, राजव व जलकर वसूली की जानकारी लेकर निर्देशित किया कि निगम राजस्व में वृद्धि हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी दिये गये लक्ष्य की पूर्ति नियत समयावधि में करें।

बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कार्य इस प्रकार से करें कि नगर निगम की छवि नागरिकों में बेहतर बनें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री सर्वश्री एम.के. जैन, सत्यप्रकाश आचार्य, अरविन्द दशोत्तर, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपर्यंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, अनवर कुरेशी, मनीष तिवारी, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, श्रीमती अनिता ठाकुर, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री सुनील कपूर, श्री हरीश मिश्रा, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाडे, श्री किरण चौहान, श्री विनय चौहान आदि उपस्थित थ।

रतलाम 24 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 24 अक्टूबर रविवार को 61 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया ।

24 अक्टूबर रविवार को उम्पर से 26645, काम्पेक्टर सूखा कचरा 18175, गीला कचरा 16450 किलो इस तरह कुल 61270 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया ।

## ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण के 95 गोडाउन व दुकानें पाये गये

रतलाम 24 अक्टूबर । रतलाम शहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठ क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविष्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें के गठित दलों द्वारा वार्डवार किये गये सर्वे के तहत नगर में ज्वलनशील पदार्थ एवं अन्य खतरनाक वस्तु भण्डारण के 95 गोडाउन व दुकानें पाये गये ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा गठित दलों द्वारा किये गये सर्वे के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 8 में 9, वार्ड क्रमांक 9 से 16 में 14, वार्ड क्रमांक 17 से 24 में 9, वार्ड क्रमांक 25 से 32 में 14, वार्ड क्रमांक 33 से 40 में 14 व वार्ड क्रमांक 41 से 49 में 35 इस तरह कुल 95 गोडाउन व दुकानें ज्वलनशील पदार्थों की पाई गई ।

## सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स की दुकानें क्रय करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

### 10 नवम्बर तक ऑन लाईन निविदा जमा करा सकेंगे

रतलाम 24 अक्टूबर । महू रोड स्थित सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स की 99 दुकानों के विक्रय किये जाने हेतु नगर निगम द्वारा निकाली गई ऑन लाईन निविदा की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी की गई है जिसके तहत व्यापारी, दुकानदार, नागरिक 10 नवम्बर तक दुकान क्रय करने हेतु ऑन लाईन निविदा जमा करा सकेंगे ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शहर के मध्य, महू रोड सिटी फोरलेन स्थित सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स बस स्टैण्ड परिसर के समीप होकर विशाल पार्किंग के साथ बगैर किराये के उपलब्ध 99 दुकानों के विक्रय हेतु ऑन लाईन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर नियत थी। व्यापारी, दुकानदार व नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निविदा की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी की जाकर 10 नवम्बर की गई है ।

नगर निगम द्वारा दुकानदारों व नागरिकों अपील की जाती है कि नगर निगम द्वारा व्यापारीबंधुओं, दुकानदारों व नागरिकों से अपील की जाती है कि अपनी दुकान-अपनी पहचान की तर्ज पर अचल संपत्ति अन्तरण नियम 2016 अनुसार दुकान क्रय करने हेतु ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेवें। ई-निविदा संबंधी अधिक जानकारी सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स में संचालित कार्यालय व नगर निगम विकास शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है ।

## 2544 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें वार्डवार केन्द्रों व घर-घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 24 अक्टूबर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 22 अक्टूबर शुक्रवार को 534 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया इस तरह अब तक 2544 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय—पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशाला, वार्ड 4 महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 साँई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10 सिंधी गुरुद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाष नगर, वार्ड 16 काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्चेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव, वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड 35 मेंहदीकुर्ई बालाजी नगर निगम, वार्ड 36 कान्चेंट स्कूल मित्र निवास रोड, वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड 38 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 39 शासकीय प्राथमिक स्कूल शैरानीपुरा, वार्ड 40 श्रीमाली धर्मशाला, वार्ड 41 मोहन टॉकिज, वार्ड 42 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, वार्ड 43 गणेश मांगलिक भवन रामबाग, वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, वार्ड 45 शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल माणक चौक, वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7558 आयुष्मान कार्ड बनाये गये नगर निगम के आईटी सेल में 22 दिनों में 186 हितग्राही के बनाये आयुष्मान कार्ड निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुष्मान कार्ड

रतलाम 24 अक्टूबर । आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं जिसके तहत 1 से 22 अक्टूबर तक 186 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 22 अक्टूबर को 1 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये इस तरह 1 से 22 अक्टूबर तक 186 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7558 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

### **1770 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 24 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु 1707 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु 63 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 35 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

### **अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी कसूल**

रतलाम 24 अक्टूबर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार

गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर ताड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

## डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रत्नाम 24 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मषीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

## नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रत्नाम 24 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रत्नाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

## गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रत्नाम 24 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के द्वायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा द्वायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा

संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

**वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 24 अक्टूबर। स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 24.10.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.